

# मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

क्रमांक / एमपीएमसी / उप.पंजी. / लोसेप्र / 25.3 / 2017 / 2027-28 भोपाल दिनांक 13/04/17

प्रति,

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र.
- \* 2. द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

विषय: अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का म. प्र. में रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन ।

संदर्भ: लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-25 दिनांक 24-1-2017 में शामिल सेवा क्रमांक 25.3 के संबंध में निर्देश ।

1. सेवा का उद्देश्य:- अन्य राज्य से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय किए जाने के उद्देश्य से रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन किया जाना । यह सेवा अन्य राज्यों के उन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये उपलब्ध होगी जिनके द्वारा जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं, उस राज्य की कौंसिल का अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि 3 माह से अधिक पुराना न हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया होगा ।
2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा:- रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य दिवस
3. आवेदन पत्र एवं प्रारूप :- आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क के माध्यम से किया जायेगा ।
4. पात्रता की आवश्यक शर्त :-
  - (i) आवेदक द्वारा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम. बी. बी. एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो तथा अन्य राज्य की स्टेट मेडिकल कौंसिल में स्थाई रूप से पंजीकृत हो ।
  - (ii) जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं, उस राज्य की कौंसिल का अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि 3 माह से अधिक पुराना न हो, ।
5. आवश्यक दस्तावेज :-
  - (i) जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति,
  - (ii) कक्षा 12 वी. की अंकसूची की छायाप्रति,
  - (iii) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट-1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,
  - (iv) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट-2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,
  - (v) एम.बी.बी.एस. की डिग्री की छायाप्रति,
  - (vi) इन्टरमीडिएट पूर्ण करने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
  - (vii) चिकित्सा महाविद्यालय (जहां से एमबीबीएस अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो) के नाम के प्रमाण हेतु कोई अधिकृत प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
  - (viii) स्टेट मेडिकल कौंसिल (जहां से आवेदक पंजीकृत हैं) के परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति,
  - (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं, उस राज्य की कौंसिल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि 3 माह से अधिक पुराना न हो, )
  - (x) आधार कार्ड की छायाप्रति
  - (xi) डिक्लेरेशन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति

6. पदाभिहित अधिकारी द्वारा एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
- 6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 अनुसार आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंडिका -5 में दर्शाए गए दस्तावेजों सहित आवेदक द्वारा पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।
  - 6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी ।
  - 6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा ।
  - 6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर एवं ईमेल एड्रेस भी भरा जावेगा ।
  - 6.5 आवेदन करते समय यदि आवेदक का आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस /OTP से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक /पहचान संबंधी ) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी ।
  - 6.6 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम -16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा । एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज की आवश्यक नहीं होगा ।
  - 6.7 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।
  - 6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को उसके भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. के माध्यम से दी जावेगी ।
7. लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-
- 7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका -5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा । दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस सेवा केन्द्र /कियोस्क के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा ।
  - 7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिया जावे ।
  - 7.3 आनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक /पश्चात) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी ।
  - 7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी । पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा तैयार पावती पर अंकित होगी ।
  - 7.5 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन परिषद के जी2जी पर प्राप्त होगा, उसके उपरांत पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑन लाईन उपलब्ध हो जायेगा ।

- 7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका-8 में बताई गई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी ।
- 7.7 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा । इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट /पोर्टल पर संधारित की जायेगी । यह कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही संपादित की जाएगी ।
8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –
- 8.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाईन आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
- 8.2 एम. पी. ऑनलाईन पर आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कंडिका -7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- 8.3 आवेदन सर्वप्रथम परिषद को प्राप्त होगा । पंजीयन शाखा -1 आवेदन का अधिकतम 10 कार्य दिवस में परीक्षण कर आवेदन लेखा शाखा की ओर प्रेषित करेगी ।
- 8.4 परिषद की लेखा शाखा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन के शुल्क सत्यापन हेतु संबंधित कार्यवाही अधिकतम 03 कार्य दिवस में पूर्ण कर दस्तावेज के सत्यापन हेतु तिथी आवंटित की जायेगी ।
- 8.5 आवंटित तिथी को आवेदक अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाए जाने हेतु परिषद कार्यालय में उपस्थित होगा ।
- (i) मूल दस्तावेज के सत्यापन उपरान्त जिन आवेदकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, के आवेदन पात्रता के अनुरूप पाए जाने की स्थिति में 10 कार्य दिवस में कार्रवाई पूर्ण की जाकर, डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदक द्वारा दिए गए ईमेल पर भेज दिया जाएगा ।
- (ii) जिन आवेदकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, के पंजीयन प्रमाण पत्र के सत्यापन / अनापत्ति हेतु संबंधित कौंसिल को पत्र प्रेषित किया जावेगा । संबंधित कौंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त होने के उपरांत, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से आवेदन पात्रता के अनुरूप पाए जाने की स्थिति में 10 कार्य दिवस में कार्रवाई पूर्ण की जाकर, डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदक द्वारा दिए गए ईमेल पर भेज दिया जाएगा ।
- 8.6 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत रेसीप्रोकल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा ।
- 8.7 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन /सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट / पोर्टल पर संधारित की जायेगी ।
9. शुल्क –
- 9.1 अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का म. प्र. में रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय (non refundable) रु. 2200.00 है ।
- 9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन पोर्टल शुल्क रूपये 50/- का भुगतान करना होगा ।

10. अपील –  
आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

(1) आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी-

| सेवा क्र. | सेवा  | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम   | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम   |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|
| 25.3      | अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का म. प्र. में रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन | आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल | 30 कार्य दिवस                                   | प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा |

  
रजिस्ट्रार 13/4/17  
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.3/2017/2029-33 भोपाल दिनांक 13/04/2017

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक-ओ.बी., 14-17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क , अरेरा हिल्स, एम पी नगर जोन-1 के सामने, भोपाल ।
5. आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।

  
रजिस्ट्रार 13/4/17  
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल